तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

खण्ड पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, सदस्य
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री वी0पी0सिंह, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर कैंप बांसवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–3–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी कुशलगढ के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिनी भूमि खसरा नंबर 185 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम गांगड तलाई की खातेदारी की थी। इस भूमि में से 3 बीघा भूमि का नामांतरकरण संख्या–192 दिनांक 7–9–80 द्वारा सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि वादीया ने इस भूमि का समर्पण नहीं किया। परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकारी ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29–11–01 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे असन्तुष्ट हो कर अपीलांट्स ने प्रथम अपील, भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर कैंप बांसवाडा के यहां प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 18–3–05 द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। विवादित आराजी पर अपीलार्थीया का कब्जा है। प्रस्तुत समर्पण पत्र सही नहीं है एवं असल न होकर फोटो प्रति है। समर्पण केवल भूमिधारी को नोटिस देकर ही किया जा सकता है। ग्राम पंचायत के पक्ष में स्वीकृत नामांतरकरण शून्य है। प्रमाणीकरण केवल पटवारी का है और न ही गौतमी अपीलार्थी का अंगूठा समपर्ण पत्र पर है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एवं न ही कोई साक्ष्य है। अपीलार्थी द्वारा जब समर्पण किया ही नहीं गया तो ऐसी अवस्था में बनावटी समर्पणनामें के आधार पर तस्दीक नामांतरकरण वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। उनका यह भी कथन है कि धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी कार्यवाहीं नहीं हुई और न ही भूमि का मुआवजा दिया गया और न ही कब्जा लिया गया। ऐसी स्थिति में वादी अपीलार्थी का वाद डिक्री किया जाना चाहिये था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को उसके समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन, परिशीलन एवं विवेचन विश्लेषण करते हुये विधि अनुसार निष्कर्ष दिया जाना चाहिये। परीक्षण न्यायालय ने वादीगण का वाद रिकोर्ड से परे निरस्त किया था। अपीलीय न्यायालय ने भी गलत रूप से परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखते हुये अपीलांट्स की अपील मनमाने तौर पर खारिज की है। अतः दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे। विद्वान राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि स्वयं खातेदार द्वारा समर्पण पत्र प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार द्वारा स्वीकार कर नामांतरकरण खोला गया और भूमि सिवायचक दर्ज होने के बाद आबादी प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत को किया गया। विवादित आराजी वर्तमान में आबादी प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलार्थी वादीया ने समर्पण पत्र में लगाई गई अंगूठा निशानी से इंकार नहीं किया है बल्कि वाद यह कहकर लाया गया है कि अपीलार्थी ने भूमि नहीं दी। समर्पण पत्र दिनांक 27–11–78 का है तथा उसको स्वीकार करने के बाद तहसीलदार द्वारा दिनांक 3–1–79 को पटवारी को राजस्व अभिलेख में 3 बीघा भूमि सरकार के नाम अंकित करने के आदेश दिये है। हम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के इस निष्कर्ष से सहमत है कि समर्पण पत्र की जो फोटो प्रति साक्ष्य के रूप में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत की गई है उस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श डाला है तथा यह प्रदर्श मूल पत्र देखकर ही अंकित किया जा सकता है। उक्त समर्पण पत्र पर अपीलांट वादी गौतमी की अंगूठा निशानी है। अतः यह माना जाना उचित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	है कि अपीलांट गौतमी स्वयं के द्वारा समर्पण पत्र निष्पादित किया गया है। पहचानकर्ता के रूप में इस पर सीताराम के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में 22 साल बाद वादीया के द्वारा वाद प्रस्तुत कर यह कहना कि उसके द्वारा समपर्ण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, मानने योग्य नहीं है। परीक्षण न्यायालय में वादी अपीलार्थी प्रस्तुत समर्पण पत्र को फर्जी अथवा बनावटी न तो स्वंय सिद्ध कर पाई और न ही किसी साक्ष्य, गवाहों बयान आदि से सिद्ध करा पाने में सफल हो पाई। समर्पण पत्र साबित होने की स्थिति में परीक्षण न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर राजस्व अभिलेख के आधार पर तनकीवार विवेचन व विश्लेषण करते हुये वादीगया को खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारीनी नहीं मानते हुये उसका वाद खारिज किया है, जिसका समर्थन अपीलीय न्यायालय द्वारा भी किया गया है। हमारी सुविचारित राय में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण हमारे समक्ष दौराने बहस ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं कर पाये जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (आर.के.जायसवाल) सदस्य (मुकेश कुमार शर्मा) सदस्य	